VCI (Inspections & Visitors) Regulations, 1991

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 1991/कार्तिक 21, 1913
No. 412] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 1991/KARTIKA 21, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1991

सा.का.नि. 678(अ).--भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 19 और 20 के साथ पठित धारा 66 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है:--

1. संक्षिप्त नाम, शीर्षक और प्रारम्भ.--(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और परिदर्शक) विनियम, 1991 है।

(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे।

2(1) परिभाषा.--इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(क) "अधिनियम" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है।

(ख) "कार्यकारिणी समिति" से अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है।

(ग) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त पशुचिकित्सा निरीक्षक अभिप्रेत है।

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चुना गया भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ङ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का सचिव अभिप्रेत है।

(च) "परिदर्शक" से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिदर्शक अभिप्रेत है।

(2) वाक्य या वाक्यांश जिनका प्रयोग इन विनियमों में किया गया है और जिनको अलग से परिभाषित नहीं किया गया उनका अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

Scanned by CamScanner

3. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा का निरीक्षण—(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ऐसे पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल अथवा अन्य संस्था, जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, के निरीक्षण के लिए अथवा किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली पशु चिकित्सा परीक्षा की देख-रेख करने के लिए कम से कम तीन निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी।

(2) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह पशुचिकित्सा में परीक्षा का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था से आवधिक रूप से ऐसी प्रत्येक परीक्षा की जिसका निरीक्षण भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जाना है तारीख और स्थान अभिनिश्चित करें।

4. निरीक्षकों की नियुक्ति.--(1) किसी भी व्यक्ति को तब तक निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास निम्न-लिखित अर्हता न हो, अर्थात्:--

(क) (1) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित पशु-चिकित्सा में मान्यताप्राप्त अर्हता।

या

(2) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा में मान्यताप्राप्त अर्हता।

(ख) (1) पशु चिकित्सा संस्थान में कम से कम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव।

या

(2) पशु चिकित्सा व्यवसायी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव।

या

(3) पशु चिकित्सा परीक्षक के रूप में 3 वर्ष के अनुभव सहित पशु चिकित्सा व्यवसायी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।

(2) प्रत्येक निरीक्षक अध्यक्ष से परिषद् के अधीन लिखित रूप में एक कमीशन प्राप्त करेगा और उस कमीशन में वह पशु चिकित्सा विद्यालय, अस्पताल या संस्था विनिर्दिष्ट होंगी जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है तथा विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा पशु चिकित्सा की परीक्षा का जिसका उसके द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, संचालन किया जाता है और वह कार्यकारिणी समिति को उस पर अपनी रिपोर्ट देगा।

(3) निरीक्षक किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय या परीक्षकों या पशु चिकित्सा की परीक्षाओं का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य संस्था के किसी पदधारी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

(4) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा कमीशन प्राप्त निरीक्षक को वही यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे जो परिषद् के सदस्यों के लिए उनकी बैठकों में उपस्थित होने के लिए विहित है।

(5) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का कोई भी सदस्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया.--प्रत्येक निरीक्षक निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात्:--

(क) ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्थाओं में जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, विद्यमान अध्यापन सुविधाओं के बारे में अद्यतन रिपोर्टों से और उस विश्वविद्यालय, बोर्ड या पशु-चिकित्सा संस्था द्वारा जिनके अध्यक्ष के निदेशानुसार निरीक्षण के लिए उसे नियुक्त किया गया है, संचालित पशु चिकित्सा की परीक्षा या परीक्षाओं में तथा परीक्षा संचालन करने वाले निकाय, महाविद्यालय के प्राधिकारियों की टिप्पणियों और उन पर केन्द्रीय परिषद् के विचारों से स्वयं को अवगत करेगा।

(ख) ऐसी प्रत्येक परीक्षा में स्वयं उपस्थित होगा जिसका निरीक्षण करना उससे अपेक्षित है और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों तथा अन्य संस्थाओं का जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, कर्मचारीवृन्द उपस्कर, आवास सुविधा, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा की शिक्षा और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाओं जैसे विषयों के संबंध में निरीक्षण करेगा किन्तु वह उसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

6. निरीक्षकों के कर्तव्य.--(1) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन कार्यकारिणी समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में अपनी सुनिश्चित राय दे और उसमें इस बाबत अपनी विनिर्दिष्ट राय अभिलिखित करे कि क्या--

(क) परीक्षा का संचालन उचित रूप से किया गया है;

(ख) ऐसी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रदान की जा रही शिक्षा के स्तरों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे; और

(ग) उस पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था में जिसमें पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, उपलब्ध अध्यापन सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में.--

(क) निरीक्षक द्वारा निरीक्षित प्रत्येक परीक्षा के लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक भागों में प्रस्तावित प्रश्नों के, केसों के और नैदानिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराए गए सामित्रों, अवीक्षण के लिए किए गए प्रबंधों, अंक देने के तरीके और सफल विद्यार्थियों द्वारा दर्शित ज्ञान के स्तर के बारे में सभी आवश्यक विशिष्टियां तथा सामान्यतया ऐसे सभी ब्यौरे जो परीक्षा के प्रविषय और स्वरूप के विषय में न्याय-निर्णयन के लिए अपेक्षित हों उप-वर्जित होंगे:

(ख) निरीक्षक द्वारा अपने निरीक्षण के प्रत्येक दिन प्रत्येक परीक्षा का निरीक्षण करने पर लगाए गए वास्तविक समय का संक्षिप्त अभिलेख सम्मिलित होगा;

(ग) ऐसे महाविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थाओं तथा उनसे संबद्ध अन्य अनुभागों में विद्यमान अध्ययन सुविधाओं, उपस्करों, आवास सुविधा और कर्मचारिवृन्द के संबंध में जानकारी सम्मिलित होगी;

(घ) यह उप-दर्शित होगा कि ऐसी प्रत्येक परीक्षा के जिसका उसने निरीक्षण किया है, मामले में, परीक्षाओं के संबंध में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें किस सीमा तक क्रियान्वित की गई है और यह भी कि संस्था में किसी विषय या विषयों में जिनसे निरीक्षण का संबंध है, [illegible] की शिक्षा में, परिषद के शैक्षिक विनियमों को किस सीमा तक लागू किया गया है; और

(ङ) सचिव से अपनी रिपोर्ट की टंकित प्रति प्राप्त होने पर वह (निरीक्षक) मूल प्रति से उसका मिलान करके उसमें सुधार करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और परिषद् के अभिलेखों में रिपोर्ट की अधिप्रमाणित प्रति के रूप में परिरक्षित रखने के लिए उसे सचिव को लौटाएगा।

Scanned by CamScanner

7. रिपोर्ट पर विचार (1) निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट अध्यक्ष के निदेशानुसार मुद्रित की जाएगी और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकारिणी समिति को विचारार्थ और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को रिपोर्ट भेजने के लिए भेजी जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी।

(2) जब तक किसी विशिष्ट मामले में परिषद् अन्यथा निदेशन न दे; निरीक्षकों की रिपोर्ट गोपनीय होगी।

(3) निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुद्रित होते ही पर्याप्त संख्या में उसकी प्रतियां, जिन पर "गोपनीय" लिखा होगा जब तक कि विशिष्ट मामले में परिषद् अन्यथा निदेश न दे, संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, संस्था को अथवा संबंधित विश्वविद्यालय, बोर्ड या पशु चिकित्सा संस्थान को इस अनुरोध के साथ भेजी जायेगी कि वह उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, परिषद् को भेज दें।

(4) ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या संस्थान की, जिसका निरीक्षण किया गया है, अथवा ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य पशु चिकित्सा संस्थान की, जिसने परीक्षा का संचालन किया है, टिप्पणियों सहित निरीक्षण की प्रत्येक रिपोर्ट परिषद् के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी और रिपोर्ट पर कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गये विचारों सहित परिषद् एक बैठक में विचार करेगी।

(5) यथास्थिति, ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या संस्था की, जिसका निरीक्षण किया गया है, अथवा ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य पशु चिकित्सा संस्थान की, जिसने परीक्षा का संचालन किया है, टिप्पणियों सहित निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति उस पर कार्यकारिणी के विचार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे।

8. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थाओं का और विश्वविद्यालय, बोर्ड या किसी अन्य पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित की गई परीक्षा का निरीक्षण करना परिषद ऐसे किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था का, जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण करने के लिये या किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा उसके लिये आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उतने परिदर्शक नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे।

9. परिदर्शकों की नियुक्ति—(1) उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिदर्शक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो

(क) परिषद का सदस्य है, अथवा

(ख) अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा में डिप्लोमा/डिग्री देने वाली किसी संस्था में अध्यापक हो था रहा हो, अथवा,

(ग) जिसने अधिनियम की पहली या द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में परीक्षक के रूप में काम किया हो; अथवा

(घ) अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम करने के बाद पशु चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा रखता हो और कम से कम 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव रखता हो।

(2) किसी भी निरीक्षण या परीक्षा के लिये निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति उसी निरीक्षण या परीक्षा के लिये परिदर्शक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) उस परिदर्शक को, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का सदस्य है, कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलेगा किन्तु उसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा और अन्य भत्ते का संदाय किया जायेगा।

(4) उस परिदर्शक को, जो पशुचिकित्सा परिषद् का सदस्य नहीं है, वही यात्रा और अन्य भत्ते दिये जायेंगे जो पशु चिकित्सा परिषद के सदस्यों के लिये उनको बैठकों में उपस्थित होने के लिये विहित हैं।

(5) परिदर्शक ऐसे किसी पशुचिकित्सक महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था के जहां पशुचिकित्सा की, शिक्षा दी जाती है और जिसमें वह अध्यापक है तथा ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा जिसमें वह परीक्षक है, के निरीक्षण में भाग नहीं लेगा।

(6) प्रत्येक परिदर्शक अध्यक्ष से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की मुद्रा के अधीन लिखित रूप में एक कमीशन प्राप्त करेगा और उस कमीशन में वह पशुचिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और अन्य संस्था जहां पशु चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। तथा किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड, या अन्य पशु चिकित्सा संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसका उसे परिदर्शन करना है, विनिर्दिष्ट होगी।

10. परिदर्शकों के कर्तव्य-1 (अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में परिदर्शक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक परीक्षा की, जिसका उसने निरीक्षण किया है, पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में अपनी सुनिश्चित राय दे और उसमें यह अभिलिखित करें कि क्या—

(क) परीक्षा का संचालन उचित रूप से किया गया था;

(ख) ऐसी परीक्षा के लिये प्रश्न उस शिक्षा के, जो प्रदान की जाती है, स्तरों को ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे, और

(ग) उस पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था में जहां पशुचिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, उपलब्ध अध्यापक सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(2) ऊपर उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में :—

(क) प्रत्येक परीक्षा के, जिसका निरीक्षण परिदर्शक ने किया है, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक मार्गों में प्रस्तावित प्रश्नों, नैदानिक और प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये उपलब्ध कराये गये केसों और सामग्रियों अवीक्षण के लिए किये गये प्रबन्धों, अंक देने के तरीके और मापमान, सफल विद्यार्थियों द्वारा दर्शित ज्ञान के स्तर के बारे में भी आवश्यक विशिष्टियां और सामान्यतया ऐसे सभी ब्यौरे जो परीक्षा के प्रविषय और स्वरूप के विषय में न्याय निर्णयन के लिये अपेक्षित हों, उपवर्णित होंगे;

(ख) परिदर्शक द्वारा अपने निरीक्षण के प्रत्येक दिन प्रत्येक परीक्षा के निरीक्षण में [illegible] अभिलेख सम्मिलित होगा;

(ग) ऐसे महाविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थाओं तथा उनसे सम्बद्ध अन्य अनुभागों में विद्यमान अध्यापन सुविधाओं, उपस्करों, आवास सुविधा, कर्मचारिवृन्द के संबंध में जानकारी सम्मिलित होगी;

(ग) यह उपदर्शित होगा कि ऐसी प्रत्येक परीक्षा जिसका उसने निरीक्षण किया है, मामले में, परीक्षाओं के संबंध में भारती -

Scanned by CamScanner

पशुचिकित्सा परिषद् की सिफारिशें किस सीमा तक क्रियान्वित की गई हैं और यह भी कि संस्था में विशिष्ट विषय या विषयों में, जिनसे परिदर्शक का संबंध है, विद्यार्थियों की शिक्षा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के शैक्षिक विनियमों को किस सीमा तक लागू किया गया है और

(ङ) सचिव से अपनी रिपोर्ट की प्रूफ प्रति प्राप्त होने पर मूल प्रति से उसका मिलान करके उसमें सुधार करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और पशुचिकित्सा परिषद के अभिलेखों में रिपोर्ट की अधिप्रमाणित प्रति के रूप में परिरक्षित रखने के लिए उसे सचिव को लौटाएगा।

[सं. 4-4/90-वी.सी.आई.]
प्रो. (डा.) राम कुमार वी., सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1991

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by section 66 read with section 19 and section 20 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. (1) Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) 'Executive Committee' means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(c) 'Inspector' means the veterinary inspector appointed under sub-section (1) of section 19 of the Act;

(d) 'President' means the President of Veterinary Council of India elected under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(e) 'Secretary' menas the Secretary of the Veterinary Council of India appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(f) 'Visitor' means a visitor appointed under sub-section (1) of section 20 of the Act.

(2) Words and expressions used in these regulations and not seperately defined above shall have the same meaning as in the Act.

3. Inspection of Veterinary Colleges, hospitals and institutions and examination held by a University, Board or other veterinary institution.—(1) The Veterinary Council of India shall appoint not less than three inspectors to inspect Veterinary College, hospital or other institution where veterinary education is given or to attend any veterinary examination held by any University, Board or other veterinary institution.

(2) It shall be the duty of the Secretary to ascertain periodically from the University, Board or other veterinary institution conducting veterinary examination, the date and place of every such examination which may be inspected by the Veterinary Council of India.

4. Appointment of Inspectors.—(1) No person shall be appointed as an inspector unless the possesses the followning qualifications, namely :—

(a) (i) a recognised veterinary qualification included in the First Schedule of the Act

OR

(ii) a recognised veterinary qualification included in the Second Schedule of the Act.

(b) (i) must have atleast five years' teaching experience in a veterinary institution.

OR

(ii) twelve years' professional standing

OR

(iii) ten years' professional standing with three years' experience as veterinary examiner.

(2) Every inspector shall receive from the President a commission in writing under the seal of the Council and the commission shall specify the veterinary college, hospital or other institution where veterinary education is given the veterinary examination conducted by the University, Board or other veterinary institution which is required to be inspected by him and he shall report to the Executive Committee thereon.

(3) An inspector shall not accept hospitality from any veterinary college or from examiners or from any official of the University, Board or other institution conducting veterinary examination.

(4) An inspector commissioned by the Veterinary Council of India shall be paid travelling allowance and other allowances as prescribed for the members of the Council for attending its meetings.

(5) No member of the Veterinary Council of India shall be appointed as an inspector.

5. Procedure of inspection.—Every inspector shall comply with the following requirements, namely :—

(a) to make himself acquainted with such previous report on the facilities for teaching existing at the veterinary college, hospital or other institution where veterinary education is given and with the qualifying examination or veterinary examination conducted by the University, Board, Veterinary institution which he is appointed to inspect, as the President may direct and with the remarks of the body conducting the examinations, the institutions authorities and the observations of the Council thereon;

Scanned by CamScanner

(b) to attend personally, every examination which he is req: ed to inspect and to inspect veterinary colleges, hospitals and other institutions where veterinary education is given in regard to matters like staff, equipment, accommodation, training and other facilities for veterinary instruction and training but shall not interfere with the conduct thereof.

6. Duties of Inspectors.—(1) In furnishing the report to the Executive Committee under sub-regulation (2) of regulation 4, it shall be the duty of an inspector to give his opinion categorically about the sufficiency or otherwise of each examination and also to record therein his specific opinion whether—

(a) the examination was properly conducted;

(b) the questions for such examination were framed having regard to the standards of the education imparted; and

(c) the teaching facilities available in the veterinary college, hospital or other institution in which veterinary education is given are sufficient.

(2) The report referred to in sub-regulation (1) shall :

(a) set forth all necessary particulars as to the questions proposed in the written, oral and practical parts of each examination inspected by the inspector, the cases and appliances provided for clinical and practical examinations, the arrangements made for invigilation, the method and scales of marking, the standard of knowledge shown by successful candidates and generally all such details as may be required for adjudicating on the scope and character of the axmination;

(b) include a brief record of the actual time spent by the inspector in inspecting each examination on each day of his inspection;

(c) include information relating to teaching facilities, equipments, accommodation and staff existing at such colleges, hospitals and institutions and other sections attached to them:

(d) Indicate the extent to which the recommendations of the Veterinary Council of India in regard to examinations have been carried out in the case of each examination inspected by him and also the extent to which the educational regulations of the Veterinary Council have been given effect to in the education of the students in the particular subject or subjects with which the inspector is concerned in the institution; and

(e) compare the proof copy of his report on ceipt from the Secretary with the origin. and correct, sign and return it to the Secretary for preservation in the records of the Council as the authentic copy of the report.

7. Consideration of the reports.—(1) Every report of an inspecor shall be printed under the direction of the President and a copy of such report shall be referred to the Executive Committee for consideration and report to the Veterinary Council of India. A copy of the report shall be supplied to each member of the Executive Committee.

(2) Reports of inspectors shall be confidential unless in any particular case the Council shall otherwise direct.

(3) As soon as a report by an inspector has been printed, sufficient number of copies thereof marked 'Confidential', unless in any particular case the Council otherwise directs, shall be forwarded to the concerned veterinary college hospital. institution or the concerned University, Board or veterinary institution with the request that it shall furnish to the Council is remarks, if any. within thity days of the receipt of the report by it.

(4) Every report of an inspector with the remarks of the veterinary college. hospital or institution inspected or of the University. Board or other veterinary institution which conducted the examination shall be supplied to each member of the Council and shall be considered by the Council at the next meeting together with the observations of the Executive Committee thereon.

(5) A copy of every report of an inspector with the remarks of the veterinary college. hospital or institution inspected or of the University, Board. or other veterinary institution which conducted the examination, as the case may be, and the observations of the Executive Committee, thereon, shall, after approval of the Veterinary Council of India, be forwarded to the Central Government.

8. Visitor to inspect veterinary colleges. hospitals and insitutions and examinations held by a University, Board or other veterinary institution.—The Council shall appoint such number of visitors as it may deem requisite to inspect any verterinary college, hospital or other institution where veterinary education is given or to attend an examination held by any University, Board or other veterinary institution therefor.

9. Appointment of visitor.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the Act, a visitor may be;—

(a) a member of the Council. or

(b) a person who is or has been a teacher of any institution conferring veterinary diploma or degree included in the First or Second Schedule to the Act; or

(c) a person who has acted as an examiner in [illegible] veterinary diploma or degree course included in the First or Second Schedule to the Act; or

(d) [illegible] person who possesses veter[illegible]y d[illegible] or degr[illegible] after undergoing a course of [illegible] in ve[illegible] included in the First or Second Sched[illegible] the Act and having at least ten ye[illegible] professional standing.

Scanned by CamScanner

(2) No person who is appointed as an inspector for any inspection or examination shall be appointed as a visitor for the same inspection or examination.

(3) A visitor who is a member of the Veterinary Council of India shall not receive any remuneration but shall be paid travelling and other allowances as for attending the meeting of the Veterinary Council of India.

(4) A visitor who is not a member of the Veterinary Council of India shall be paid travelling and other allowances as prescribed for the members of the Veterinary Council of India for attending its meetings.

(5) A visitor shall not take part in the inspection of any veterinary college, hospital or other institution where veterinary education is given and where he is a teacher and of any examination held by any University, board or other veterinary institution where he is an examiner.

(6) Every visitor shall receive from the President a commission in writing under the seal of the Veterinary Council of India and the commission shall specify the veterinary college, hospital or other institution where veterinary education is given and the examination held by any University, Board or veterinary institution which he is required to visit.

10. Duties of visitor—(1) In furnishing the report to the President it shall be the duty of a visitor to give his opinion categorically about the sufficiency or otherwise of each institution examination inspected by him and also to record therein whether :

(a) the examination was properly conducted;

(b) the questions for such examination were framed having regard to the Standards of the education imparted, and

(c) the teaching facilities available in the veterinary college, hospital or other institution in which veterinary education is given are sufficient.

(2) The report referred to in sub-regulation (1) above shall;

(a) set forth all necessary particulars as to the questions proposed in the written, oral and practical parts of each examination inspected by the visitor, the cases and appliances provided for clinical and practical examination, the arrangements made for invigilation, the method and scales of marking the standard of knowledge shown by successful candidates and generally all such details as may be required for adjudicating on the scope and character of the examination;

(b) include a brief record of the actual time spent by the visitor in inspecting each examination on each day of his inspection;

(c) include information relating to teaching facilities, equipments, accommodation and staff existing at such colleges, hospitals and institutions and other sections attached to them;

(d) indicate the extent to which the recommendations of Veterinary Council of India in regard to examinations have been carried out in the case of such examination inspected by him and also to what extent the educational regulations of the Veterinary Council of India have been given effect to in the education of the students in the particular subject or subjects with which the visitor is concerned in the institution; and

(e) compare the proof of his report on receipt from the Secretary with the original and correct, sign and return it to the Secretary for preservation in the records of the Council as the authentic copy of the report.

[No. 4-4/90-VCI]

Prof. (Dr.) RAMA KUMAR V., Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

Scanned by CamScanner